

कार्यालय नगर पालिका रामगंजमण्डी, कोटा (राज0)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका रामगंजमण्डी के आगामी चुनाव हेतु पुर्नगठित वार्डों के सीमांकन के प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किये गये है :-

क्र.सं.	वार्ड संख्या	नवगठित वार्ड के सीमांकन का विवरण
1	01	रेल्वे जी.एस.एस. के पास रेल्वे पुलिया सीमा से सीधे श्री लक्ष्मीचन्द जी मेड़तवाल के कुअे व खैराबाद रोड़ के ऊत्तरी किनारे से सीधे रेल्वे लाईन के मध्य का समस्त क्षेत्र जिसमें सुभाष नगर, उत्तमचन्द भूटानी वाली कॉलोनी, डोदूराम कॉलोनी, भारतीय खाद्य निगम, सुखदेव नगर, शुभम कॉलोनी, नैनूराम कॉलोनी सम्मिलित है।
2	02	खैराबाद रोड़ बस स्टेण्ड से पश्चिम में गणेश माली से खैराबाद रोड़ का दक्षिणी भाग, रामकल्याण मीणा के खेत कुअे को शामिल करते हुए पालिका सीमा तक, जिसमें ए.एस.आई. कम्पनी क्लब एवं लेबर क्वार्टर, पंच कल्याण कॉलोनी, वृन्दावन कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, करणी नगर, वासुदेव नगर की समस्त आबादी सम्मिलित है
3	03	खैराबाद रोड़ फाटक से खैराबाद बस स्टेण्ड, इन्द्रा उद्यान, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी का सम्पूर्ण ब्लॉक डी, सी, बी एवं रिजर्व ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए नानूराम जी के खेत की कॉलोनी, आनन्द नगर की समस्त आबादी क्षेत्र।
4	04	इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी का सम्पूर्ण 'ए' ब्लॉक, लालजी भाई के निवास वाला भाग मय खेत व जज साहब का फार्म हाऊस, तहसील आवास एवं एस.डी.एम. आवास, कार्यालय परिसर, जेल, पी. डब्ल्यू.डी. ऑफिस, डाक बंगला, स्टील फ़ैक्ट्री के पीछे का क्षेत्र, न्यायिक आवास अर्थात उण्डवा रोड़ के पश्चिम का सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र पालिका सीमा तक।
5	05	उण्डवा रोड़ के पूर्वी ओर खैराबाद रेल्वे फाटक से हनुमान मंदिर हरीतिमा पट्टी, सरकारी आवास, रेल्वे क्वार्टरर्स, पी.एच.ई.डी. कार्यालय एवं पास की बस्ती को शामिल कर पुचमुखी पुलिया से जैन नसिया कॉलोनी एवं मारुती नगर में श्री पुरषोत्तम शर्मा पत्रकार के मकान की गली में पूर्वी दिशा कॉलोनी मकानात से हनुमान मंदिर होते हुए प्रताप कॉलोनी के मध्य से सोनी जी कॉलोनी के सहारे रेल्वे लाईन के ट्रैक तक एवं रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे वापस खैराबाद फाटक तक आबादी क्षेत्र।
6	06	उण्डवा रोड़ पर श्री पुरषोत्तम शर्मा के मकान के सामने गली, बाद चुंकी नाका से पालिका सीमा तक एवं वहाँ से रेल्वे फाटक संख्या 81 तक होते हुये सोनीजी का कॉलोनी शामिल कर प्रताप कॉलोनी के मध्य में होते हुये वापस चुंगी नाका तक का क्षेत्र, जिसमें मारुती नगर, नाकाडो नगर कुम्हार मोहल्ला आदि क्षेत्र सम्मिलित है।
7	07	रेल्वे फाटक संख्या 81 (मारुती नगर के पास) से बाई पास के आस-पास का क्षेत्र, रॉसली कच्ची बस्ती को सम्मिलित करते हुए, रॉसली तलाई के आस-पास की आबादी को शामिल करते हुए रॉसली गाँव की समस्त आबादी।
8	08	पंचमुखी मंदिर के पास रेल्वे पुलिया से रेल्वे लाईन के पूर्वी ओर रेल्वे फाटक नं0 81 तक व पंचमुखी मंदिर, शमशान, बट्टी का आश्रम, रॉसली रोड़ कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, रॉसली गाँव के बाहर स्थित गोदाम व फ़ैक्ट्री एवं शमशान से रॉसली गाँव की ओर जाने वाली सडक के दक्षिणी ओर का समस्त आबादी क्षेत्र
9	09	रॉसली रोड़ कॉलोनी के उत्तरी ओर श्री ओम प्रकाश फौजी के मकान से दूरभाष केन्द्र बगीचा कुण्ड (मोहनलाल सुखाडिया कॉलोनी) विजय आयल मिल कॉलोनी, रावण चौक, कृषि उपज मण्डी समिति यार्ड सेन्ट्रल बैंक गली, महाराजा अग्रसेन अतिथि गृह, गोयल आयल मिल से गौंधी चौक बाजार नं0 07 के दक्षिणी दिशा के मकानात शामिल कर, व्यास स्कूल, साबु क्रिणागन से कृषि उपज मण्डी समिति के गेट नं0 02 के सहारे से कृषि उपज मण्डी समिति की दीवार के सहारे से वापस श्री ओम प्रकाश फौजी के मकान तक समस्त क्षेत्र पंचमुखी मन्दिर के पास रेल्वे पुलिया से उत्तरी दिशा में श्रृंगार बाग कॉलोनी, महाराजा होटल एवं नेहरू बाल विद्या मन्दिर वाली गली को शामिल करते हुए उत्तर की ओर आबकारी कार्यालय तक एवं रेल्वे स्टेशन की ओर के रास्ते से दक्षिणी ओर की रेल्वे क्वार्टर्स से रेल्वे लाईन से पंचमुखी रेल्वे पुलिया तक समस्त क्षेत्र।

10	10	गांधी चौक से बाजार नं0 01 के पूर्वी ओर आई.सी.आई.बैंक से शाहजी के मकान तक होते हुए बाजार नं0 06 में दक्षिणी ओर मकानात शामिल कर मकान श्री दयाराम गुजराती तक वहाँ से गैरज गली के पश्चिमी किनारे-किनारे बाजार नं0 07 तक एवं वहाँ से गुजराती धर्मशाला होते हुए वापस आईसीआईसीआई के मध्य का समस्त क्षेत्र जिसमें कृष्णा कॉलोनी सम्मिलित है।
11	11	रेल्वे स्टेशन चौराहे पर श्री जितेन्द्र शर्मा जोनी भाई के मकान से बाजार नं0 01 में पश्चिमी ओर मकानात शामिल कर माल गोदाम चौराहे पर प्याऊ से रेल्वे ट्रेक तक रेल्वे कॉलोनी शामिल कर वापस श्री जितेन्द्र शर्मा के मकान तक का क्षेत्र, बाजार नं0 01 में रमेश मेडिकल्स स्टोर से बाजार नं0 04 के दक्षिणी ओर सरकारी कुंआ चौराहा से बाजार नं0 02 के पश्चिमी ओर श्री मथुरा लालजी हलवाई वाली लाईन में बाजार नं0 06 के कोने तक व वहाँ से श्री गोकुलदास प्याऊ तक जिसमें बह्मपुरी तिवारीजी गली मुरली कंजोलिया वाली गली एवं बाजार नं0 05 का समस्त मध्य आबादी क्षेत्र।
12	12	माल गोदाम चौराहा पर श्री रामप्रसाद के मकान से बाजार नं0 01 के पश्चिमी ओर पुलिस उपअधीक्षक कार्यालय तक एवं रेल्वे ट्रेक तक रेल्वे कॉलोनी शामिल कर वापस माल गोदाम पर श्री रामप्रसाद के मध्य का आबादी क्षेत्र एवं बाजार नं0 01 में श्री भरत राठौर के मकान से बाजार नं0 04 के उत्तरी ओर से सरकारी कुंआ चौराहे से बाजार नं0 02 में पश्चिमी ओर भैरुगली में से बाजार नं0 01 में श्री हरिराम तिवारी जी गली के दक्षिणी ओर से वापस बाजार नं0 01 के पूर्वी किनारे-किनारे से श्री भरत राठौर के मकान तक का समस्त आबादी क्षेत्र।
13	13	बाजार नं0 01 में श्री हरिराम तिवारी जी के मकान से पुलिस थाने तक एवं पुलिस थाने से सीमेन्ट रोड़ पर माली मौहल्ला में गली पार कर श्री राजू भाई पत्रकार के मकान तक एवं माली मौहल्ले का समस्त आबादी क्षेत्र। माली मौहल्ला पार कर बाजार नं0 02 में पश्चिमी ओर मकानात शामिल कर भैरुगली से वापस श्री हरिराम तिवारी जी के मकान तक समस्त आबादी क्षेत्र।
14	14	सीमेन्ट रोड़ स्थित नारायण टाकिज से पूर्वी गली पार कर दुकान श्री ऊंकार/धन्नालाल माली, ठाकुरदास लुहार एवं मकान हीरालाल पारेता से बाजार नं0 03 के कोने पर श्री बलराम सुनेजा के मकान तक व वहाँ से दक्षिण में बाजार नं0 03 के पश्चिमी किनारे-किनारे श्री कृष्णवल्लभ शर्मा के मकान तक वहाँ से गली में राजस्थान आयल मिल में डामर सड़क के उत्तरी ओर दरगाह से राजस्थान मिल के मुख्य गेट से दुकान श्री खालिक भाई पर होते हुए सड़क बाजार नं0 02 के पूर्वी किनारे-किनारे माली मौहल्ला के रास्ते तक का समस्त क्षेत्र जिसमें चीलघर गली म्युनिसिपल कॉलोनी का आंशिक क्षेत्र, राजस्थान आयल मिल का मध्य आबादी क्षेत्र।
15	15	बाजार नं0 03 में स्थित श्री मदान के मकान से पश्चिमी दिशा में सड़क किनारे-किनारे नगरपालिका, उस्मान भाई टेलर से पन्नालाल चौराहा पार कर काका गेस्ट हाउस एवं श्री जेटवानी के मकान तक, वहाँ से पंजाबी गली में उत्तरी दिशा में श्री कालू सिंह शक्तावत मकान से बाजार नं0 02 में नन्दवाना (चेचट चाले) के मकान तक वहाँ से बाजार नं0 02 के पूर्वी ओर बाजार नं0 04 पार कर सरकारी कुंआ चौराहा होते हुए बाजार नं0 02 के पूर्वी ओर लेथ मशीन तक का क्षेत्र। बाजार नं0 02 से राजस्थान आयल मिल रास्ते के दक्षिणी ओर पंजाबी धर्मशाला, शिव मंदिर एवं पास की आबादी को शामिल कर वापस बाजार नं0 03 में श्री मदान तक के मध्य का समस्त आबादी क्षेत्र, जिसमें नगरपालिका के पीछे का क्षेत्र भिस्ती मौहल्ला शामिल है।
16	16	बाजार नं0 03 में स्थित श्री देवराज कथूरिया के मकान से पश्चिम में सड़क किनारे-किनारे क्रय-विक्रय सहकारी समिति होते हुए बाजार नं0 06 पार कर जैन मंदिर से अम्बेडकर चौराहा पर पश्चिमी ओर का क्षेत्र एवं वहाँ से बाजार नं0 07 में मकान गोरधन छप्पन से गैरज गली में गर्ल्स स्कूल के कोने तक। गैरज गली के पूर्वी दिशा में गर्ल्स स्कूल को शामिल कर गोरधननाथ मंदिर तक का क्षेत्र एवं वहाँ से बाजार नं0 06 पार कर सड़क के उत्तरी ओर मकान श्री जी.डी. माहेश्वरी से, बाजार नं0 06 व 02 के कोने पर श्री किशन खाती की दुकान तक एवं उत्तर दिशा में बाजार नं0 02 की पूर्वी ओर स्थित आबादी सीधे गांधी किराना तक एवं पंजाबी गली में दक्षिणी ओर गांधी किराना से मकान श्री देवराज कथूरिया तक व मध्य की समस्त आबादी क्षेत्र।

17	17	बाजार नं0 03 में स्थित श्री पुरुषोत्तमदास चावड़ा के मकान से पूर्वी दिशा में सड़क किनारे-किनारे पुराना अस्पताल से होते हुए श्री अजीत भाई सेठी के मकान से अम्बेडकर चौराहा पर श्री आज्ञाराम गंभीर के मकान तक वहां से आर.एस.ई.बी. के सामने जय अम्बे ट्रेडिंग के मकान को शामिल करते हुए श्री मेवालाल गुर्जर का मकान तक वहाँ से गद्दी मौहल्ला के रास्ते के पश्चिमी ओर की आबादी लेते हुए सीधे रमेशजी सक्सेना के मकान को सम्मिलित कर पूर्वी गली से सब्जीमण्डी के पूर्वी द्वार तक तथा सब्जीमण्डी पी.एच.ई.डी. व अग्निशमन कार्यालय व राजेश टाकिज वाला भाग छोड़ते हुए वापस गली में श्री पुरुषोत्तमदास चावड़ा के मकान तक मध्य का समस्त क्षेत्र।
18	18	कृषि उपज मण्डी समिति के उत्तरी द्वार से अम्बेडकर चौराहे की ओर लाईफ लाईन अस्पताल लेते हुए जुल्मी रोड़ पर गुर्जर मौहल्ला दक्षिणी साईड, कब्रिस्तान तथा आगे पटेल कृषि फार्म तक व कब्रिस्तान से जुल्मी रोड़ पर सीधे एच.एस. कॉलोनी तक कृषि उपज मण्डी समिति की दीवार के बाहर का समस्त आबादी क्षेत्र।
19	19	जुल्मी रोड़ पर पर सड़क के पश्चिमी ओर राधा कृष्ण मन्दिर से देवनारायण कॉलोनी से मारवाड़ा चौराहा के सड़क के दक्षिणी ओर महाराणा प्रताप कॉलोनी, राजकीय मंगलम चिकित्सालय, आर.एस.ई.बी. कार्यालय से पूर्व में पालिका सीमा तक सीधे चौबारा पाल तक वहाँ से पालिका सीमा में जुल्मी रोड़ पर सड़क के दक्षिणी ओर की आबादी कचरा भरण स्थल बापू कॉलोनी एवं बापू कॉलोनी के पीछे कॉलोनी को शामिल कर गोशाला होते हुए कृषि भूमि को लेते हुए वापस राधाकृष्ण मंदिर के पिछवाड़ा में मध्य का समस्त आबादी क्षेत्र।
20	20	आवासन मण्डल से सांडपुर सड़क पालिका सीमा से सड़क के उत्तरी दिशा में आवासन मण्डल की नई कॉलोनी एवं पुरानी आवासन मण्डल कॉलोनी तमाम बसावट को सम्मिलित कर मंगलम चिकित्सालय के सामने गोरधनपुरा जाने वाली सड़क के उत्तरी-पूर्वी दिशा में जिसमें सम्पूर्ण गोरधनपुरा का आबादी को छोड़कर गोरधनपुरा माताजी मंदिर सड़क के दक्षिणी ओर की आबादी शामिल कर सड़क पार कर H.S. के खेत की आबादी कॉलोनी को शामिल कर वापस आवासन के पीछे से सांडपुर सड़क पर पालिका सीमा तक मध्य का समस्त क्षेत्र।
21	21	राजकीय मंगलम चिकित्सालय के सामने से गोरधनपुरा रास्ता पर राजकीय गोरधनपुरा स्कूल से स्कूल के दोनो ओर की आबादी शामिल कर गोरधनपुरा से आवासन मण्डल रास्ता पर मेघवाल बस्ती को शामिल कर ग्राम की समस्त बसावट का आबादी क्षेत्र।
22	22	जुल्मी रोड़ स्थित मारवाड़ा बस्ती तथा उत्तर में गोरधनपुरा के रास्ते से पश्चिम किनारे-किनारे (ग्राम गोरधपुरा आबादी को छोड़ते हुए) रामगंजमण्डी की ओर जाने वाले पुराने आम रास्ते के दक्षिणी किनारे-किनारे कृषि भूमि को शामिल करते हुए दक्षिण में भारत विकास परिषद के पास श्री रामेश्वर जी लाला धाकड़ को शामिल करते हुए (हरिजन बस्ती के मकानात छोड़ते हुए) जुल्मी रोड़ पर श्री मुश्ताक भाई से पूर्व में उत्तरी किनारे-किनारे श्री प्रभुलाल जी धाकड़ टंकी निर्माण स्थल, बैरागी कॉलोनी तथा गडार पारकर जुल्मी रोड़ के पूर्वी ओर किनारे-किनारे धाकड़ कॉलोनी सम्मिलित करते हुए दक्षिण की ओर श्री फतेहलाल, मदनलाल धाकड़ अध्यापक के मकान को सम्मिलित करते हुए जुल्मी रोड़ पर स्थित मारवाड़ा कॉलोनी तक के मध्य का समस्त आबादी क्षेत्र।
23	23	जुल्मी रोड़ पर मंगतीलाल हरिजन के मकान से उत्तर में श्री महेन्द्र भाटिया के खेत की दीवार के बाहर-बाहर पावर हाऊस के पास पब्लिक शौचालय से उत्तर में गद्दी मौहल्ला की पूर्वी बसावट को शामिल कर उत्तर में श्री शंभू माली के मकान तक एवं श्री शंभू माली के मकान से गद्दी मौहल्ला आम रास्ते के पूर्वी किनारे-किनारे दक्षिण में सीधे श्री रघुनाथ जी राठौर के मकान तक व आर.एस.ई.बी. कार्यालय को शामिल कर जुल्मी रोड़ के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मध्य का समस्त आबादी क्षेत्र जिसमें जुल्मी रोड़ हरिजन बस्ती सम्मिलित है।
24	24	गोरधनपुरा रास्ता के दोनो ओर स्थित आबादी जिसमें श्री रमेशजी सक्सेना के मकान के पूर्वी ओर की गली से पूर्व की आबादी सम्मिलित करते हुए प्रभूलाल तैली व कला बाई हरिजन से पब्लिक शौचालय से पीछे की ओर कालू हरिजन से रास्ता गोरधनपुरा की ग्राम गोरधनपुरा की आबादी से पहले का क्षेत्र गोरधनपुरा रास्ता पर श्री शम्भू माली के मकान से आगे रास्ता के दक्षिणी ओर की बसावट श्री छगन भाई की बाडी में महेन्द्र भाई भाटिया के गेट के सामने तक श्री महेन्द्र भाटिया का कृषि फार्म, कॉलोनी एवं श्री मोहन सिंहजी की कॉलोनी को शामिल कर समस्त आबादी क्षेत्र।

25	25	गोरधनपुरा माताजी मंदिर के पिछवाड़े तिराहे से रामगंजमण्डी की ओर जाने वाले मुख्य डामर रास्ते से दक्षिणी ओर का क्षेत्र जिसमें राठौर ट्रेडर्स के गोदाम से सीधे पश्चिम में रास्तेके दक्षिणी किनारे-किनारे, जोधपुर मिष्ठान भण्डार वाले के मकान तक क्षेत्र शामिल कर जिया भाई के मकान से श्री लाधूलालजी की कॉलोनी के खेत की दीवार के अन्दर-अन्दर उत्तरी ओर की नई बसावट को सम्मिलित करते हुए दक्षिणी में कॉलोनी के खेत की दीवार के अन्दर-अन्दर उत्तरी ओर की नई बसावट को सम्मिलित करते हुए गोरधनपुरा माताजी रोड के मध्य का समस्त क्षेत्र। सब्जीमण्डी पी.एच.ई.डी. आफिस, अग्निशमन, बस स्टैण्ड, पोस्ट आफिस एवं गर्ल्स स्कूल का क्षेत्र एवं यादव मोहल्ले में श्री रामगोपाल राजा के मकान से दक्षिण में कुअे वाले पटेलजी की गुवाडी सम्मिलित करते हुए बोबल स्टोन के पश्चिमी गेट के बाहर-बाहर से अड्डा स्कूल के पीछे से वापस गली से पन्नालाल चौराहा होते हुए P.H.E.D. आफिस तक का समस्त आबादी क्षेत्र।
26	26	बाजार नं0 03 में गायत्री लॉज गली के कोने से उत्तरी ओर आबादी मकानात को शामिल कर श्री महावीर दूध डेयरी के मकान से यादव मोहल्ला में छगन लाल के मकान पश्चिमी ओर से श्री बिहारी लाल के मकान तक एवं वहाँ से गली के दक्षिणी की आबादी शामिल कर श्रीमति अंजना दाहवे के मकान से श्री राधेश्याम पोरवाल के मकान, बाजार नं0 03 तक एवं वहाँ से बाजार नं0 03 में सडक के पूर्वी ओर विश्वकर्मा मास्टर, रामनारायण सेव वाला से गायत्री लॉज गली तक का मध्य का समस्त क्षेत्र।
27	27	सीमेन्ट रोड़ पर पुराने ट्रांसपोर्ट नाके से श्री इन्द्रभाई के मकान वाली लाईन में बाजार नं0 03 के कोने पर श्री आरीक सिंह सरदार के मकान तक व वहाँ से बाजार नं0 03 में दक्षिणी ओर श्री बृजमोहन के मकान वाली गली में उत्तरी ओर श्री राजू यादव व श्री रमते यादव के मकान को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक शौचालय तक एवं श्री शम्भू भाई के खेत छोडकर आबादी को सम्मिलित करते हुए वापिस ट्रांसपोर्ट नाके तक के मध्य का समस्त आबादी क्षेत्र।
28	28	सीमेन्ट रोड पर मरियम अस्पताल के सामने श्री मीठालालजी का कुंआ सम्मिलित कर सुविधा नगर के गेट से सुविधा नगर को शामिल करते हुए बोवल स्टोन व वहाँ से वेयर हाऊस होते हुए डबल एस के गोदाम से पूर्व में श्री ओमजी गुप्ता के मकान से होते हुए माताजी के रास्ते पर ख. न. 80 व 120 में विकसित कॉलोनी में कुआ वाली लाईन शामिल कर ख. न. 79 व 82 के प्रथम गली श्री सुमन्त अग्रवाल के मकान वाली लाईन होते हुए श्री किशन खाती के मकान तक।
29	29	सीमेन्ट रोड़ पर मरियम अस्पताल के सामने ऋषभ कॉलोनी की श्री नीटू भाई सलूजा वाली लाईन से हिण्डोन वाले के मकान के सहारे-सहारे दक्षिणी दिशा में ईमानुएल स्कूल होते हुए श्री मोहम्मद शब्बीर के मकान से श्री संजय पोरवाल के मकान तक एवं वहाँ से मकान श्री गोपाल विश्वकर्मा सडक पार कर श्री जय सिंह भदौरिया के मकान सहारे से श्रीजी कॉलोनी में होते हुए वकील साहब की कॉलोनी में से होते हुए श्री गोविन्द लाल गुप्ता के खेत के पीछे सहारे होते हुए माताजी रोड़ पर होकर श्री हरिबल्लभ गुप्ता की कॉलोनी को शामिल कर हिम्मत नगर कॉलोनी के पिछवाड़े से पानी की टंकी तक का क्षेत्र एवं सीमेन्ट रोड़ के दक्षिणी ओर पानी की टंकी से ऋषण कॉलोनी में श्री नीटू भाई की गली के मध्य का समस्त क्षेत्र
30	30	गोरधनपुरा माताजी रोड़ पर मरियम इन्क्लेव कॉलोनी से पूर्वी ओर सुगन विहार, आर्दश स्कूल सम्मिलित करते हुए पालिका सीमा तक का क्षेत्र एवं वहाँ से दक्षिणी ओर आर्दश कॉलोनी को शामिल कर एच एस के खेत के बाहर तक का क्षेत्र. एवं वहाँ से आवासन मण्डल कॉलोनी से गोरधनपुरा माताजी मन्दिर रोड के उत्तरी दिशा में माताजी मन्दिर को शामिल कर माताजी मन्दिर से रामगंजमण्डी की ओर जाने वाली मुख्य डामर सडक से उत्तरी ओर मारुति टाईल्स के मकान होते हुए वापस किशन खाती के मकान के सामने तक होते हुए श्री जय सिंह भदौरिया के मकान के दक्षिणी ओर का क्षेत्र जिसमें श्रीजी कॉलोनी का आक्षिक भाग, वकील साहब की कॉलोनी का आंशिक भाग, द्वारका कॉलोनी , नामदेव कॉलोनी एवं खसरा नं0 79-82 व 80-120 कॉलोनी का आंशिक भाग सम्मिलित है।
31	31	सुकेत रोड़ पालिका सीमा से ब्राईट पोलिश फैंक्ट्री को लेते हुए पश्चिम दिशा में पानी की टंकी, हिम्मत नगर कॉलोनी को छोडकर कॉलोनी के सहारे-सहारे सुगन विहार कॉलोनी से पहले होते हुए वापस पालिका सीमा तक जिसमें माधोपुर कॉलोनी शामिल कर मध्य का समस्त क्षेत्र।

32	32	सुकेत रोड पालिका सीमा से सडक के उत्तरी ओर कमल पेट्रोल पम्प से जैन ऑटो मोबाईल शाप के बाद रास्ता पार कर मुन्ना भाई टायर वाली कॉलोनी वाली गली में मेन रोड पर चायना टाउन होटल को शामिल कर पीछे गली में शेफू भाई मन्सूरी केमकान से होटल के पीछे तक के मकानात एवं जैन ऑटो मोबाईल शॉप से अन्दर रास्ता के पूर्वी ओर आबादी को शामिल कर पीछे ट्रांसफार्मर से आगे पालिका सीमा कुदायला खाल तक मध्य का समस्त क्षेत्र।
33	33	रैदास कॉलोनी में बाबा रामदेव के मंदिर के साईड गली में उत्तरी दिशा की आबादी शामिल कर श्री बालचन्द के मकान से श्री अमीन भाई के मकान तक एवं वहाँ से सडक के पश्चिमी आबादी को शामिल कर गुलफाम भाई कबाडी वाली गली से आगे कुदायला खाल, पालिका सीमा तक का मध्य का क्षेत्र जिसमें जगदीश कॉलोनी रैदास कॉलोनी का आंशिक भाग सम्मिलित है।
34	34	रैदास कॉलोनी में बाबा रामदेव मंदिर के पीछे आबादी को शामिल कर मंदिर के सामने हैण्डपम्प से गली के दक्षिणी ओर नई मस्जिद तक का क्षेत्र एवं नई मस्जिद से सडक के पश्चिमी ओर से मुन्ना भाई टायर वालों की कॉलोनी की प्रथम गली के उत्तरी दिशा में श्री शब्बीर भाई के मकान तक एवं वहाँ से गली के आखरी तक एवं गुरुद्वारा की सीमा छोडकर वापस रामदेव मंदिर तक मध्य का क्षेत्र जिसमें मुन्ना भाई टायर वाली कॉलोनी रैदास कॉलोनी एवं कामड के खेत कॉलोनी के मध्य का समस्त क्षेत्र।
35	35	सीमेन्ट रोड पर मरियम अस्पताल से गुरुद्वारा के सामने श्री चेरी भाई के मकान से गुरुद्वारा को शामिल कर श्री नारायणलालजी पटवारी तथा बाबा रामदेव मंदिर के पीछे की आबादी को शामिल कर पीछे कुदायला नाला पालिका सीमा तक जिसमें मरियम अस्पताल, सेन्टमेरी कान्वेन्ट स्कूल व स्कूल के पास कॉलोनी को शामिल कर वापस मरियम अस्पताल तक के मध्य का क्षेत्र एवं पीछे गली में श्री गुड्डू भाई के मकान से पूर्वी ओर श्रीमती बसंती बाई के मकान तक का क्षेत्र।
36	36	सीमेन्ट रोड पर मीणा छात्रावास वाली गली के कोने पर श्री औंकारलाल जी दुकान/मकान से उत्तर में श्री जयराम तक एवं वहाँ से गिरधर कॉलोनी की गली के दोनो ओर की बसावट को शामिल कर वापस सीमेन्ट रोड के मध्य का क्षेत्र एवं पीछे गली में श्री धमेन्द्र/बालमुकन्द के मकान से श्री अर्जुन मेघवाल के मकान तक का क्षेत्र।
37	37	सीमेन्ट रोड पर उत्तरी दिशा में सुलेख नगर कॉलोनी, गणेश कॉलोनी एवं पीछे की आबादी शिव नगर कॉलोनी से पहले की आबादी शामिल कर भीमशंकर कॉलोनी की दोनों गलियां शामिल कर मीणा छात्रावास की गली के पश्चिमी किनारे श्री दिलीप के मकान से सीमेन्ट रोड पर श्री रामगोपाल धानिया पटवारी के मकान तक मध्य का क्षेत्र एवं भीमशंकर कॉलोनी की पीछे आडे रास्ते से उत्तरी ओर श्री सूरज पांचू लाल व राजू पांचूलाल के मकान से श्री मुलचन्द व प्रभूलाल के मकान तक का क्षेत्र
38	38	सीमेन्ट रोड पर आरओबी के नीचे कजोडी बाई मीणा के मकान से श्रीराम कॉलोनी के बाहर बिन्दु भाई के मकान तक व श्री राम कॉलोनी को शामिल कर पीछे मुलकराज वकील साहब की कॉलोनी तक डामर रोड तक का क्षेत्र एवं डामर सडक के पूर्वी ओर की बसावट शामिल कर वापस कजोडी बाई के मकान के मध्य का क्षेत्र जिसमें नाथू लाल जी माली का मकान एवं खेत, ज्ञान सिंह जी की कॉलोनी बाबा गेस्ट हाउस कॉलोनी श्री राम कॉलोनी एवं अन्नपूर्णा स्कूल कॉलोनी शामिल है।
39	39	थाना चौराहा नई रेल्वे पुलिया से रेल्वे लाईन के पूर्वी ओर श्री जगन्नाथ शर्मा के मकान से श्री गिरिराज जोशी वाली गली, श्री लालजी गुर्जर के खेत की आबादी सम्मिलित कर श्री भवानी शंकर माली के खेत से सीमेन्ट रोड पर श्री मोहम्मद जमील का मकान शामिल कर पूर्व में सीधे श्री शंकर लाल/रोडू लाल के मकान तक एवं वहाँ से गायत्री शक्ति पीठ गली के पश्चिमी बसावट को शामिल कर डामर सडक के पश्चिमी किनारे-किनारे शिव नगर बस्ती के पश्चिमी ओर के मकानात सम्मिलित करते हुए उत्तर में ग्राम से पहले ही कृषि भूमि में निर्मित नये मकानों को शामिल कर पालिका सीमा तक का क्षेत्र एवं वहाँ से रेल्वे लाईन के सहारे -सहारे वापस थाना चौराहा नई पुलिया के श्री जगन्नाथ शर्मा के मध्य का समस्त आबादी क्षेत्र जिसमें गायत्री शक्ति पीठ कॉलोनी, गायत्री मन्दिर, रास्ता कच्ची बस्ती एवं सलेटर हाउस कॉलोनी शामिल है।

40	40	ग्राम हनुवतखेड़ा की सम्पूर्ण आबादी एवं उसमें सम्मिलित नये मकानात एवं पालिका सीमा तक का क्षेत्र (मेघवाल बस्ती सहित) तथा हनुवतखेड़ा से नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर पूर्वी ओर शिवनगर बस्ती की सम्पूर्ण आबादी मोड़ तक का क्षेत्र
----	----	---

उपरोक्त तालिका के अनुरूप वार्डों के पुर्नगठन के प्रस्ताव तैयार किये जाकर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिस किसी भी व्यक्ति को नवगठित वार्डों के पुर्नगठन एवं पुर्नसीमांकन के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 05.07.2019 से दिनांक 15.07.2019 तक कार्यालय समय के मध्य अपनी आपत्ति लिखित रूप में नगरपालिका अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका रामगंजमण्डी